

दाखल ता 17 DEC 2015

महायुक्त/अधिक्षक
लोहमार्ग न्यायालय, दौंड

परिवाद-पत्र

3569
15

मा.न्यायादण्डाधिकारी सो प्रथमवर्ग लोहमार्ग न्यायालय, दौंड की सेवा में सविनय सादर

12. RPF थाना :- लोनी
13. मामला रजि.क्रमांक :- 949 /2015.
14. धारा :- 155 रेल अधिनियम
15. घटना की दिनांक एवं समय :- दिनांक 17.12. 2015 को समय 08.20 बजे
16. घटनास्थल :- T.NO 17032 ईका एका विकांग कोचमे अगली
17. फरियादी का नाम व पता :- मा.प्र.आ. 7901349 एका के इंडुलक RPF/थाना/लोनी
18. संलिप्त व्यक्ति का नाम व पता :- पताया 3/0 बसपा शेवाने अ. 34वर्ष.
पता - बलाजीनगर, अंबराथ, मुंबई.
19. जप्त मुद्देमाल का विवरण :-
20. मा.न्यायालय में हाजिर रहने की दिनांक 17.12. 2015 को समय 12.00 बजे
दिनांक व समय
21. जांच अधिकारी का नाम व पता :- एका. बी. जावले ASI/SIPE/RPF/थाना/लोनी
22. घटना की संक्षिप्त हकीकत :- मा. न्यायालय की सिमा एवं रेलवे सुरक्षा बल, थाना, लोनी के कार्यक्षेत्र में
दिनांक 17 / 12 /2015 को कॉलम नं. 07 के व्यक्ति द्वारा कॉलम नं. 05 के घटनास्थल पर अनाधिकृत रूप से
उपरोक्त रेल में विकांग कोच में बैठकर यात्रा करने लगे.
रेल अधिनियम की धारा 155 उल्लंघन किया है। कारणवश उक्त व्यक्ति को रेल अधिनियम के तहत
"नोटीस" जारी कर उचित कानुनी कार्यवाही होने हेतु मा.न्यायालय के समक्ष उक्त मामला विचारण हेतु पेश किया जा
रहा है।

अतः मा. न्यायालय से विनती है कि, उक्त व्यक्ति के विरुद्ध उचित कानुनी कार्यवाही करने की कृपा करके
उक्त व्यक्ति के पास से जप्तशुदा माल के निपटारा हेतु आवश्यक आदेश जारी करने की कृपा करें।

संलिप्त व्यक्ति के हस्ताक्षर :-

संलग्न दस्तावेज :- फरियाद, नोटीस

मे.हु.को.जा.व्हावे.

निरीक्षक

आर. पी. एफ. थाना, लोनी
Inspector
R.P F. Thana, Loni

दंड जमा 500/-
पावती क्र 08921997

अधिक्षक,
लोहमार्ग न्यायालय दौंड

फली गन्हा कबल भादे

05 30 pul 2102 3151

विषय: लोहमार्ग, दौड.

समक्ष

समक्ष

प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी

लोहमार्ग, दौड.

17 DEC 2015

The contents of Plea ready
to be read out
The accused is guilty for
the offence of
and is sentenced to
Pay a fine of Rs. 1,000/-

Judicial Magistrate
J.M.F.C. (Rly.) Daund

17 DEC 2015